फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री राजेन्द्र सिंह राव निवासी गांव गुगली पोस्ट आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट **– प्रत्यर्थी**

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 10/2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.02.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये पत्र क्रमांक :– सूचना का अधिकार/2026/48 दिनांक 18.02.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह राव गांव गुगली पोस्ट आईडाणा तहसील आमेट जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 06.01.2026 को ऑनलाईन आवेदन नं. 244207293457430 के संबंध में प्रमाणित प्रति चाही गई। उक्त आवेदन के संबंध मे विकास अधिकारी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2026/21 दिनांक 14.01.2026 द्वारा सूचना उपलब्ध कराने बाबत् आदेशित किया गया है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील का जवाब स्वीकार करते हुए अपील निरस्त कराने का श्रम करावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध कार्यालय ग्राम पंचायत आईडाणा से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2026/21 दिनांक 14.01.2026 से अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र विकास अधिकारी आमेट को भेजकर नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना ग्राम पंचायत आईडाणा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा जरिये	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2026/21 दिनांक 14.01.2026 से आवेदन पत्र को विकास अधिकारी आमेट को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत प्रेषित कर दिया जाने एवं वांछित सूचना बाबत् प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय का नहीं होने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद